कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक 06.01.2025

विषयः- उत्तर प्रदेश सिविल न्यायालय चयन परीक्षा में अनधिकृत रुप से सम्मिलित होने वाले 02 नफर साल्वर गैंग के सदस्यों को उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश 2024 के तहत थाना लंका पुलिस ने किया गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा भर्ती परीक्षाओं को सूचितापूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराये जाने एवं किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाये जाने पर तत्काल दण्डात्मक कार्यवाही हेतु दिए गए निर्देशों के अनुपालन में पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में व अपर पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी व सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी लंका के कुशल नेतृत्व में दिनांक 06.01.2025 को लंका पुलिस द्वारा लौटूबीर अन्डर पास से 02 नफर साल्वर गैंग के सदस्य/ छद्मभेषी अभ्यर्थियों 1. पवन कुमार पुत्र जय देव बरनवाल नि0 ग्राम+पोस्ट+थाना तिसरी जिला गिरिडीह झारखण्ड उम्र 33 वर्ष, 2. आशीष रंजन कुमार उर्फ पप्पू पुत्र महेन्द्र प्रसाद नि0 सिंगारहाट सोरसराय थाना सोरसराय जिला नालन्दा बिहार उम्र 29 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से कूटरचित प्रवेश पत्र एवं आधार कार्ड, मोबाइल फोन एवं लैपटाप बरामद बरामद किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना विवरणः-

1. दिनांक 04.01.2025 को उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट चयन परीक्षा के दौरान कन्द्रीय विद्यालय, बीएचयू से पकड़े गए छद्मभेषी अभ्यर्थी सौरभ कुमार से पूछताछ एवं मुखबिर खास की सूचना के क्रम में लौटूबीर अण्डर पास से साल्वर गैंग के सदस्यो 1. पवन कुमार पुत्र जय देव बरनवाल नि0 ग्राम+पोस्ट+थाना तिसरी जिला गिरिडीह झारखण्ड व 2. आशीष रंजन कुमार उर्फ पप्पू पुत्र महेन्द्र प्रसाद नि0 सिंगारहाट सोरसराय थाना सोरसराय जिला नालन्दा बिहार को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में बताया गया कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु हम लोगों का एक संगठित गिरोह है तथा हम लोगों द्वारा आपस में मिलकर प्रतियोगी परीक्षाओं में परिक्षार्थियों की जगह पर साल्वर बैठाकर परीक्षा दिया व दिलवाया जाता है हम लोग परीक्षार्थियों के आधार कार्ड व एडमिट कार्ड पर नाम व फोटो एडिट करके साल्वरों को बैठाते हैं जिसके एवज में हमें अच्छी खासी रकम मिलती है जिसे हमलोग आपस में बांट लेते हैं तथा अपनी जरुरतें पूरी करते हैं।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-पता-</u>

1. पवन कुमार पुत्र जय देव बरनवाल नि0 ग्राम+पोस्ट+थाना तिसरी जिला गिरिडीह झारखण्ड उम्र 33 वर्ष,
2. आशीष रंजन कुमार उर्फ पप्पू पुत्र महेन्द्र प्रसाद नि0 सिंगारहाट सोरसराय थाना सोरसराय जिला नालन्दा बिहार उम्र 29 वर्ष

<u>गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान</u>- दिनांक गिरफ्तारी 06.01.2025 को लौटूबीर अण्डर पास के पास, थाना क्षेत्र लंका, कमि0 वाराणसी।

<u>बरामदगी विवरण-</u>

अभियुक्तगण के पास से 01 अदद लैपटाप, 03 अदद मोबाइल फोन, ओएमआर शीट, आधार कार्ड्स एवं पैन कार्ड तथा कूटरचित प्रवेश पत्र की प्रतियां बरामद हुयी।

<u>पंजीकृत अभियोग का विवरण</u> –

1. मु0अ0सं0- 06/2025 धारा 318(4)/319(2)/336(3)/338/340(2) बी0एन0एस0 व धारा 7/13, 4/13 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनो का निवारण) अध्यादेश 2024 थाना लंका, कमि0 वाराणसी।

<u>गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम</u>

1. श्री शिवाकान्त मिश्र, प्रभारी निरीक्षक, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 शिवाकर मिश्रा, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
3. का0 प्रमोद कुमार प्रथम, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
4. का0 राम पाल सिंह, थाना लंका, कमि0 वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त काशी जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।